भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3046

उत्तर देने की तारीख- 06/08/2026

डीएजेजीयूए के अंतर्गत विशेष पहलें

3046. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, पेयजल, सड़कें, विद्युत, आजीविका, कौशल विकास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार कार्यों का तीव्र कार्यान्वयन किए जाने और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाए जाने के लिए छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के बाकी जनजातीय गांवों योजनाओं को 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)' के अंतर्गत शामिल करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 63,843 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने सहित अवसंरचनात्मक अंतरों को संतृप्त करना और 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों के 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

डीएजेजीयूए के तहत संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित उपायों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है। डीएजेजीयूए के तहत लाभों के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के 11 ब्लाकों में 591 गाँवों को डीएजेजीयूए गाँव की सूची में शामिल किया गया है।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे उन गांवों की सूची प्रस्तुत करें जो डीएजेजीयूए ग्राम सूची में शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों अर्थात 500 या उससे अधिक आबादी वाले जनजातीय बहुल गांव और कम से कम 50% जनजातीय निवासियों वाले मानदण्डों को पूरा करते हैं। कार्यों के तीव्र कार्यान्वयन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत लाभार्थियों को योजनाओं के लाभों को समय पर पहुंचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डीएजेजीयूए के तहत संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी और समन्वय बैठकें आयोजित करता है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों/जिला प्राधिकरणों (प्राधिकारियों) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। योजना की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पीएमयू का प्रावधान भी किया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3046 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	मंत्रालय (Ministry)	योजना का नाम (Scheme Name)	मिशन लक्ष्य (Mission Target)
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)	पीएमएवाई-जी (PMAY-G)	20 लाख आवास
2	ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)	पीएमजीएसवाई (PMGSY) - सड़कें	25,000 किलोमीटर सड़क
3	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs)	1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स
4	दूरसंचार विभाग	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)	5,252 गाँव
5	जल शक्ति मंत्रालय	जल जीवन मिशन (JJM)	सभी गाँवों को संतृप्त (पूर्ण रूप से कवर) करना
6	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना - पीएम सूर्य घर योजना	2000 संस्थानों में सोलर रूफटॉप (छत पर सोलर पैनल) का प्रावधान
7	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र - पोषण 2.0 (ICDS)	2,000 नई आंगनवाड़ियां
8	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE&L), शिक्षा मंत्रालय	समग्र शिक्षा अभियान (SSA)	1,000 हॉस्टल (छात्रावास)
9	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना	जनजातीय जिलों में 30 कौशल केंद्र; 1000 वीडीवीके (VDVKs) और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण
10	आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH)	पोषण वाटिका	700 पोषण वाटिका

11	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	पीएम-आरकेवीवाई (PM-RKVY)	एफआरए (FRA) पट्टा धारकों (~ 2 लाख) को कृषि सहायता
12	विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)	संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)	प्रत्येक गैर-विद्युतीकृत घर (HH) और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान (~ 2.35 लाख)
13	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी - उज्ज्वला योजना	25 लाख एलपीजी कनेक्शन
14	पंचायती राज मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	एफआरए (FRA) से संबंधित सभी ग्राम सभाओं, उप-मंडलों और जिलों में एफआरए जागरूकता कार्यक्रम
15	मत्स्य पालन विभाग (D/o Fisheries)	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)	जनजातीय मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर (IFR) और 1000 सीएफआर (CFR)
16	पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)	जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन)	1000 होम स्टे
17	पशुपालन और डेयरी विभाग	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8,500 आईएफआर (IFR) धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता
18	जनजातीय कार्य मंत्रालय	आश्रम स्कूलों का उन्नयन (Upgradation), टीएमएमसी (TMMC) आदि	
